न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 45/2024

जी.सी.एम.एस. नं.: 2024/90

1. तहसीलदार राजस्व बहैसियत भू–धारक प्रतिनिधि राजस्थान सरकार –प्रार्थी

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र छगनलाल जाति अरोड़ा साकिन श्रीविजयनगर –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. राजपैरोकार
2. श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 10.03.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार द्वारा मूल वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र 177 सपठित धारा 63() राज. काश्त.अधि. का पेश किया जा चुका है। अप्रार्थी के नाम चे चक 32 जीबी जमाबंदी संवत् 2076 प.नं. 178/422 मु.नं. 3 कि.नं. 21/2, 21/3, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 कुल 0.627है. भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर आवासी कॉलोनी काटकर गैर कृषि कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है। जो कि भूमि को नुकसान पंहुचाने की परिभाषा में आता है, इससे भूमि नाकाबिल काश्त हो गई है। अप्रार्थीगण द्वारा धारा 177 राज.काश्त.अधि. की शर्तों का उल्लंघन किया गया है तथा खातेदारी अधिकार की शर्तों का भी उल्लघन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति कृषि भूमि की प्रकृति का परिवर्तन किया है। जिससे राज्य पक्ष को अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी राज्य सरकार के पक्ष में है। अप्रार्थी को कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने का कोई हक नहीं है। अप्रार्थी के रकबा पर रिसीवर नियुक्त करवाकर कब्जा बहक रिसीवर दिया जावे। जो कि कानूनी है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। मौका व रिकार्ड की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाने और वाद के निर्णय तक रकबा पर रिसीवर नियुक्त करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि प्रतिवादी के नाम से दर्ज होना रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। अप्रार्थी के द्वारा अपनी कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यो के लिए किया जा रहा हो व भूमि में किसी प्रकार सडके, भवन निर्माण आदि किया गया है असत्य होने से अस्वीकार है अप्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार कोई भवन निर्माण आदि नहीं किया गया है और न ही सडके आदि बनायी गयी है व न ही किसी प्रकार गैर कृषि कार्यो के लिए उपयोग में लायी जा रही है समस्त तथ्य मुगालदा लगने से किये गये है। अप्रार्थी की भूमि वाके चक 32 जीबी का मु.न. का भूमि है जिसमें अपने इष्टदेव की पूजा अर्चना के लिए एक छोटी सी जगह पर मन्दिर बनाया हुआ है चूँकि उक्त भूमि के आस पास की भूमि में आवासीय कॉलोनी होने व आस पास के क्षेत्र में मकानात होने से व आवारा पशुओ का दिनभर जमावडा आदि वहाँ होने से उक्त मन्दिर की सुरक्षा के लिए मन्दिर की छोटी दीवार बनायी हुई है शेष भूमि में कोई कार्य नही किया जा रहा है वर्तमान में उक्त भूमि में बाग लगाये जाने हेतु कृषि विशेषज्ञों की राय अनुसार उक्त भूमि की उर्वरता शक्ति बढाने एवं फलो के लिए उचित मापदण्ड में लाने के लिए भूमि को खाली छोडकर इसमें समय समय पर पानीबारी लगाने के लिए कहा गया है ताकि इसमें पूर्व में पैदावार हेतु डाले गये उर्वरको से आने वाले दोषो को दूर किया जा सके इसलिए मेरे द्वारा उक्त

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:22:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भूमि को खाली छोडा जाकर इसमें बागवानी के अनुसार सुधार किया जा रहा है इसमें किसी प्रकार कोई अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है मौका पर न तो कोई सडक व न ही कोई भवन आदि निर्मित है। मौका रिपोर्ट में अंकित है कि उक्त भूमि किसी प्रकार अकृषि कार्यो के लिए उपयोग में नहीं लायी जा रही है। किसी प्रकार ऑवटन शर्त की उल्लघना नहीं की है। इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। ऐसे में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारो की भूमि में भूमि सुधार करने, बागवानी व अन्य योजनाओ के लिए प्राप्त होने वाले अनुदानो, सरकारी लाभो को प्राप्त करने से वंचित हो जावेगा जिससे अपूर्णीय क्षति होगी एंव काश्त आदि में भारी असुविधा होगी जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किया जाने पर वादी के अधिकारो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा इसलिए वादी का न तो प्रथम दृष्टया मामला है न ही सुविधा का संतुलन है और न ही वादी को कोई अपूर्णीय क्षति होने की कोई संभावना ही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति तीनो ही महत्वपूर्ण बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही बहस समझे जाने का कथन किया। वकील अप्रार्थी लिखित बहस पेश की। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं लिखित बहस का अवलोकन किया।

4. प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध कृषि भूमि पर बिना अनुमति अकृषि कार्य करने के आधार पर धारा 177 राज. काश्त. अधि. के वाद के साथ हस्तगत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिसीवर नियुक्ति के अनुतोष के आधार पर पेश किया है। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों का विरोध करते हुए अप्रार्थी की खातेदारी विवादित भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं करने का कथन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस में विवादित भूमि में अप्रार्थी द्वारा अपने इष्ट देव के मन्दिर निर्माण करने व दीवार का निर्माण करने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। मूल वाद में तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि होती है। अतः अप्रार्थी स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा कृषि भूमि पर बिना अनुमति मन्दिर व दीवार निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया है। जिस कारण काश्तकारी/खातेदारी शर्तो का उल्लंघन हुआ है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि विवादित भूमि पर निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी पारित नहीं की जाती है तो भूमि के अन्यत्र अन्तरण/हस्तान्तरण हो जाने से विवाद बढ़ने की सम्भावना है। प्रकरण से स्पष्टतयाः राज्य हित प्रभावित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–: आदेश :–

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.09.2024 को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई/कन्फर्म किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी विवादित भूमि चक 32 जीबी प.नं. 178/422 मु.नं. 3 कि.नं. 21/2, 21/3, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 की कुल 0.627है. भूमि पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति [illegible] रखें। आदेश की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर, उपपंजीयक श्रीविजयनग[illegible] अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर को पालन[illegible]

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible].2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:22:27 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Scanned with CamScanner